**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 658**

**जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है**

**कोयले के लिए प्रेषण आदेश जारी करने में भ्रष्टाचार**

**658. श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया गुणवत्ता वाले कोयले के लिए प्रेषण आदेश (डीओ) जारी करके और फिर उसके स्थान पर बेहतर गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया है और कितने लोगों को जेल में डाला गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के शाहूपुरी क्षेत्र में नकली डीओ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोयले की तस्करी करने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो फर्जी डीओ के माध्यम से होने वाली तस्करी को कब तक रोका जाएगा; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**कोयला और खान राज्य मंत्री**

**(श्री सतीश चन्द्र दुबे)**

**(क) :** मंत्रालय में निम्न ग्रेड के कोयले के लिए प्रेषण आदेश (डीओ) हेतु उच्च ग्रेड कोयले की आपूर्ति करने का कोई भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

**(ख), (ग), (घ) और (ड.) :** उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****